



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लो०नि०वि०, पोखरी।

Phone: 01372-222225
Fax: 01372-222225
Email: eepmgsypokhari@rediffmail.com

पत्रांक 838 / 1 सी. वनभूमि

दिनांक 06/08/2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इंदरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून।

विषय:- पोखरी काण्डई मोटर मार्ग पर विधिवत स्वीकृति हेतु आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।
प्रपोजल सं०- FP/UK/ROAD/10131/2015
सन्दर्भ:- क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार का पत्रांक 08बी/यू०सी०पी०/06/117/2015/एफ०सी०/865 दिनांक 06.08.2020।

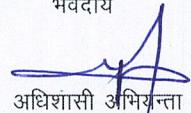
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में पोखरी से काण्डई मोटर मार्ग पर वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर विधिवत स्वीकृति से पूर्व 03 बिन्दुओं पर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश प्राप्त हुये थे। उक्त बिन्दुओं का निराकरण निम्नवत् है-

- 1- Notify CA ara as RF/PF :- इस बिन्दु का निराकरण संलग्नक 01 के अनुसार है।
- 2- Revised CA schem of 40,96,375 :- पुनरीक्षित क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्ताव संलग्नक 02 के अनुसार संलग्न है।
- 3- Mutation Completion details :- म्यूटेशन विवरण संलग्न 03 के अनुसार संलग्न है।

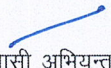
अतः महोदय से निवेदन है कि विधिवत स्वीकृति हेतु उपरोक्त अनुपालन आख्या पर अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लो०नि०वि०, पोखरी।

प्रतिलिपि :-

- 1- मुख्य अभियन्ता, यू०आर०आर०डी०ए०, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, लो०नि०वि० गोपेश्वर (मु०-गौचर) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- सहायक अभियन्ता प्रथम, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि० पोखरी को सूचनार्थ प्रेषित।


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लो०नि०वि०, पोखरी।

भागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

No-01172/52149

Email: dfokedarnath@gmail.com

दिनांक

2022

निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर।

विषय - क्षतिपूर्क वृक्षारोपण क्षेत्र को आरक्षित/ संरक्षित घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

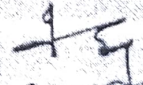
उपरोक्त विषय के कम में अवगत करना है कि निम्नोक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में वर्गनित क्षतिपूर्क वृक्षारोपण क्षेत्र जो अधिसूचना संख्या 869/एफ-638 दिनांक 17-10-1992 के अनुसार वन घोषित है। इसे पुन रक्षित/ आरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है -

क्र.सं.	परियोजना का नाम
1	जनपद चमोली के अन्तर्गत मैखोली नलगाव लखेडी बासीराम मोटर मार्ग का निर्माण।
2	जनपद चमोली के अन्तर्गत पजियाणा घण्डियाल मोटर मार्ग का निर्माण।
3	अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम डोंग तक मोटर मार्ग का निर्माण।
4	जनपद चमोली के अन्तर्गत नौटी- किरसाल मोटर मार्ग से खेती-जखेट तक मोटर मार्ग का निर्माण।
5	जनपद चमोली के अन्तर्गत सिमली-शैलेश्वर मोटर मार्ग का निर्माण।
6	जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मालई से भटक्वाली मोटर मार्ग का निर्माण।
7	जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत श्रीगढ़ से हनोली मोटर मार्ग का निर्माण।
8	जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जंगलचट्टी से सिराणा मोटर मार्ग का निर्माण।
9	जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मोहनखाल से ताली कन्तारी मोटर मार्ग का निर्माण।
10	जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी --काण्डई मोटर मार्ग का निर्माण।

अतः अनुरोध है कि विषयोक्त प्रकरण में अग्रतः कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,



(इन्द्र सिंह नेगी)

प्रभागीय वनाधिकारी

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।





कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone @ Fax No&01372252149

Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक:-

5630 12-1 गोपेश्वर,

दिनांक 09/05/2023

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0,
पोखरी।

विषय:-

पोखरी काण्डई मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (FP/UK/ROAD/10131/2015) पर विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

आपके कार्यालय का पत्रांक 584/1सी0 वनभूमि, दिनांक 21-04-2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु0 4096375.50 का प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(इन्द्र सिंह नेगी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

जनपद चमोली में पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत पोखरी काण्डई मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 7.35 है० वन भूमि हस्तान्तरण के ऐबज में दो गुना 14.70 है० क्षेत्रफल में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

1 परियोजना का नाम- जनपद चमोली में पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत पोखरी काण्डई मोटर मार्ग निर्माण कार्य (7.35 है०)

2 वृक्षारोपण स्थल का नाम- काफलपानी एवं खल्यू सिविल

3 वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल-

14.700 है०

4 रोपित किये जाने वाली पौधों की संख्या

16170 पौध

5 रोपित किये जाने वाले प्रजाति -वांज, पदम, कचनार, आवला, देवदार मोरु आदि,

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर-नागनाथ वन क्षेत्र

क्र०सं०	कार्य विवरण	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	
1	सर्वेक्षर व सीमांकन कार्य	14.700 है०	186.00 प्रति है०	2734.20
2	वृक्षारोपण क्षेत्र की झाड़ी काटना व साफाई करना	6.00 है०	6133.00 प्रति है०	36798.00
3	दीवालबन्दी कार्य पर व्यय (घ०मी० में)	405.00 घ०मी०	652.00 प्रति घन	264060.00
4	अभियन्त्रण व जल संरक्षण कार्य पर व्यय	14.700 है०	13000.00 प्रति है०	191100.00
5	गड्डे खुदान कार्य वर व्यय (0.30X0.30X0.45)	16170 सं०	11.47 प्रति सं०	185469.80
6	निरीक्षण बटिया निर्माण कार्य पर व्यय	14.700 है०	1500.00 प्रति है०	22050.00
7	अन्य व्यय जैसे संयंत्र क्रय करना औजार तेज करना	2 बार	600.00 प्रति बार	1200.00
8	कन्दूरनाली हेतु सीमांकन	2940 र०मी०	1.25 प्रति रमी०	3675.00
9	कन्दूरनाली खुदान कार्य	2940 र०मी०	18.10 प्रति रमी०	53214.00
10	कन्दूर नाल हेतु डी०ए०पी०	6 किग्रा	43.00 प्रति किग्रा	258.00
11	चैकडेम निर्माण कार्य	18 सं०	20000.00 प्रति सं०	360000.00
12	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष)	16170 सं०	11.00 प्रति सं०	177870.00
योग प्रथम वर्ष				1298429.10
द्वितीय चरण				
1	गड्डे भरान कार्य (0.30X0.30X0.45)	16170 सं०	1.78 प्रति सं०	28782.60
2	वृक्षारोपण से पूर्व क्षेत्र की झाड़ी काटना व साफाई करना	4.50 है०	2911.00 प्रति है०	13099.50
3	पौध की कीमत (द्वितीय वर्ष)	16170 सं०	3.00 प्रति सं०	48510.00
4	पौध डुलान का कार्य पर व्यय	16170 सं०	16.00 प्रति सं०	258720.00
5	पौध रोपण तथा थावला बन्दी कार्य पर व्यय	16170 सं०	4.26 प्रति सं०	68884.20
6	खाद उर्वरक व अन्य व्यय	251 किग्रा	43.00 प्रति सं०	10793.00
7	दो बार निराई गुड़ाई व मल्लिचंग पर व्यय	16170 सं०	5.43 प्रति सं०	87803.10
8	पौधों पर कल्चर कार्य	1000 सं०	5.13 प्रति सं०	5130.00
8	देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (7) गाह	14.700 है०	915.20 प्रति है०	94174.08
10	सुरक्षा दीवाल के बाहर चार मोटर की पट्टी को साफ करना।	14.700 है०	352.00 प्रति है०	5174.40
11	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा में उत्त्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों /समितियों को प्रोत्साहन देना 1- प्रशिक्षण	2 सं०	15000.00	30000.00
	2- प्रोत्साहन	2 सं०	15000.00	30000.00
12	साईन बोर्ड कण्डी, सुतली, बोरी एवं पोलीथीन सीट क्रय करना फोटोग्राफी प्रचार प्रसार व डाकव्यमंटेसन आदि कार्य	14.700 है०	L-S	20000.00
योग द्वितीय चरण				707538.88
तृतीय चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रखरखाव व जगुद्वान कार्य (12) गाह	14.700 है०	915.20 प्रति है०	161441.28
2	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखी घास व ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	14.700 है०	600.00 प्रति है०	8820.00
3	अग्नि सुरक्षा समन्धि कार्य	14.700 है०	600.00 प्रति है०	8820.00
4	शीतकाल में पौधों की गुड़ाई एवं मल्लिचंग करना	16170	2.52 प्रति सं०	40748.40
5	पौध की कीमत	1000	14.00 प्रति सं०	14000.00
6	पौध डुलान का कार्य पर व्यय	1000	16.00 प्रति सं०	16000.00
7	पुनः गड्डा खोदना तथा रोपण करना	1000	7.00 प्रति सं०	7000.00
8	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा में उत्त्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों /समितियों को प्रोत्साहन देना 1- प्रशिक्षण	2 सं०	15000.00	30000.00
	2- प्रोत्साहन	2 सं०	15000.00	30000.00
	अन्य व्यय		ल०स०	80000.00
योग तृतीय चरण				396829.68

35250.60

अ

1	2	3	4	
	चतुर्थ चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	14.700	है० 915.20 प्रति है०	161441.28
	अन्य व्यय		ल०स०	80000.00
	योग चतुर्थ चरण			241441.28
	पंचम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	14.700	है० 915.20 प्रति है०	161441.28
	अन्य व्यय		ल०स०	80000.00
	योग पंचम चरण			241441.28
	षष्ठम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	14.700	है० 915.20 प्रति है०	161441.28
			ल०स०	80000.00
	योग षष्ठम चरण			241441.28
	सप्तम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	14.700	है० 915.20 प्रति है०	161441.28
			ल०स०	80000.00
	योग सप्तम चरण			241441.28
	अष्टम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	14.700	है० 915.20 प्रति है०	161441.28
			ल०स०	80000.00
	योग अष्टम चरण			241441.28
	नवम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	14.700	है० 915.20 प्रति है०	161441.28
			ल०स०	84957.00
	योग नवम चरण			246398.28
	दशम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	14.700	है० 915.20 प्रति है०	161441.28
			ल०स०	85000.00
	योग दशम चरण			246441.28
	कुल योग			41,02,843.62
				41,02,844.00 या 4096375.00

किन्तु सीलिंग के अनुसार वेय = (14.70 x 278665.00)

= 40,96,345.50

= 40,96,375.00/-

जांच किया रूपये 40,96,375.00 मात्र के लिए।

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
नामनाथ वन क्षेत्र नामनाथ
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

मालपानी रा० उ० नि० क्षेत्र त्रिशूला तहसील पोखरी जनपद चन्नीली,

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
उ० र० स० कार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	नवर 7.7.13	-	-	-

प्रमाणित किया जाता है कि कसरा नकल
 कसल से तैयार की गई है, कसरा नवर
 220 सम्पूर्ण क्षेत्रफल 7.7.13 हे० राज्य सरकार
 की सीविल सूत्रि को प्रधानमंत्री ग्राम
 सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी काठई
 ग्रेटर गाँव से प्रभावित होने वाली सूत्रि
 के क्षतिशील व क्षतिग्रस्त हेतु प्रस्तावित की
 गई है।

12/09/17
 रा० उ० नि०
 त्रिशूला,

नकल ज० १०२० (एन. जे. ए.) रकतों में

ग्रात्र काकलपानी रा० ३०१० क्षेत्र त्रिशुला तहसील फोल्दी जनपद चम्पौर,
खेती १ (३) डं -: कृषि क्षेत्र का नक्का जल संयंत्र।

2	3	4	5	6	7	8
कु० २०० सजोर (बनार)		220	328112	7.713	—	—

सत्यप्रतिनिधि,
20/9/17
रा० ३०१०
त्रिशुला।

नकल रखसरा
ग्राज खांलध सञ्जुनिक देवर तहसील पोखरी जनपद चमोली ।

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0.978	8	30 रक 5 सजोर		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	अशि	0.978	-	-
6.194	8	30 रक 5 सजोर		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	अशि	6.194	-	-

प्रमाणित किया जाता है कि रखसरा नकल असल से तैयार की गई है, रखसरा नञ्ज 40 रक 0.978 हे० ब्रह्म 0.793 हे० तव रखसरा नञ्जर 135 सञ्जुनिक रक 6.194 हे० राज्य सजोर की सञ्जुनिक श्रुति को प्रधान ग्राज सञ्जुनिक के अन्तगत पोखरी काञ्जुनिक श्रुति से प्रमाणित होवे वाली श्रुति के सञ्जुनिक वृक्ष रोपण हेतु प्रमाणित की गई है।

सञ्जुनिक देवर,

ज० वि० २० (एम. ज०. ए.) रकमाना,

ग्राम रंकालू रा० उ० नि० क्षेत्र देवर तहसील पोखरी जनपद चित्रोली,
खेरी १० (२) :- आश कार्तिका से अकृषिक शुद्धि,

२	३	४	५	६	७	८
३०२०० रु. लोकर (भीटा)	४० १३५	४२॥॥= ३०२॥॥-	०.५७४ ६.१९४	— —	— —	— —

सत्यप्रतिष्ठिदि,
रा० उ० नि०
देवर,

सहायक अभियन्ता
महाराष्ट्र सरकार
जिल्हा कार्यालय
पोखरी

जनपद चमोली के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 7.35 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 14.70 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0-08बी/यू0सी0पी0/06/117/2015/एफ0सी0/959 दिनांक 07.8.2018 की शर्त सं0-1 के अनुसार एवं उप जिलाधिकारी पोखरी की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 7.35 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम खाल्यूं रा0उ0नि0 क्षेत्र देवर तहसील पोखरी की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0खा0सं0-8 के खसरा सं0-40 रकबा 0.978 है0 मध्ये 0.793 है0 एवं खसरा सं0-135 रकबा 6.194 है0 कुल 6.987 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-10(4) अन्य कारणों अकृषित भूमि के रूप में दर्ज है एवं ग्राम काफलपानी रा0उ0नि0 क्षेत्र त्रिशुला की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0खा0सं0-6 के खसरा सं0-220 रकबा 7.713 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-9(3)डकृषि योग्य अन्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज है, अर्थात् कुल 14.70 है0 सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0-2173/XVIII(II) /2012-18(120)/2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(स्वाति एस0 भदोरिया),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

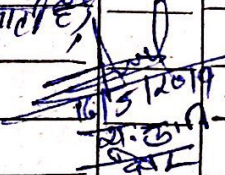
संख्या: 4476/छबीस-17 (2018-2019) गोपेश्वर: दिनांक: 04 अप्रैल, 2019

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, पोखरी।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, पोखरी।

जिलाधिकारी,
चमोली।

(4)

आटी	४०	४८॥=	०.९७९			वन गिरने के लक्षण करिपुरक सुझाये गये के स्वज	25
	४२	५४॥=	१.०९६			मे प्रायः खाली श. ६०००. के निचे तहसील पंचायती	
	४४	९००=	२.००७			की सीमाती निचे दूरे २५००००-४ के खाली रक	
	४६	६६॥=	१.९३८			४००००० ०.९४८ के खाली ०.९९३ के खाली रक	
	८२	२१॥	०.०५०			रक-१३५००० ६.१९४ के खाली ६.९८३ के खाली रक	
	८३	१=	०.००८			को क विलेय के पक्ष नमान्तरण दाखल करण किर्ण जान	30
	८४	४३	०.०६४			की लीक रि आसनादेके २०-२१ म ३/४४॥(१)/२०१२	
	८५	११॥=	०.०१६			-१८(२०)/२०१० दिनांक फादिनाकर २०१२ के अनुसार	
	८६	२८=	०.५८५			प्रदान की जाती है,	
	९०८	१=	०.००६				
	९१९	९०३१	२.०६८				35
	९१८	२१=	०.०४६				
	९२६	१४=	०.०१९				
	९२८	९१॥	०.०३५				
	९३३	१३	०.००९				
	९३२	३०८॥=	६.१९४				40
	९४९	९=	०.०२१				
	योग→	२२	२२॥=	(१८.६३३)			
रगड	८४	१	०.००५				
योग→	९	१	(०.००५)				45

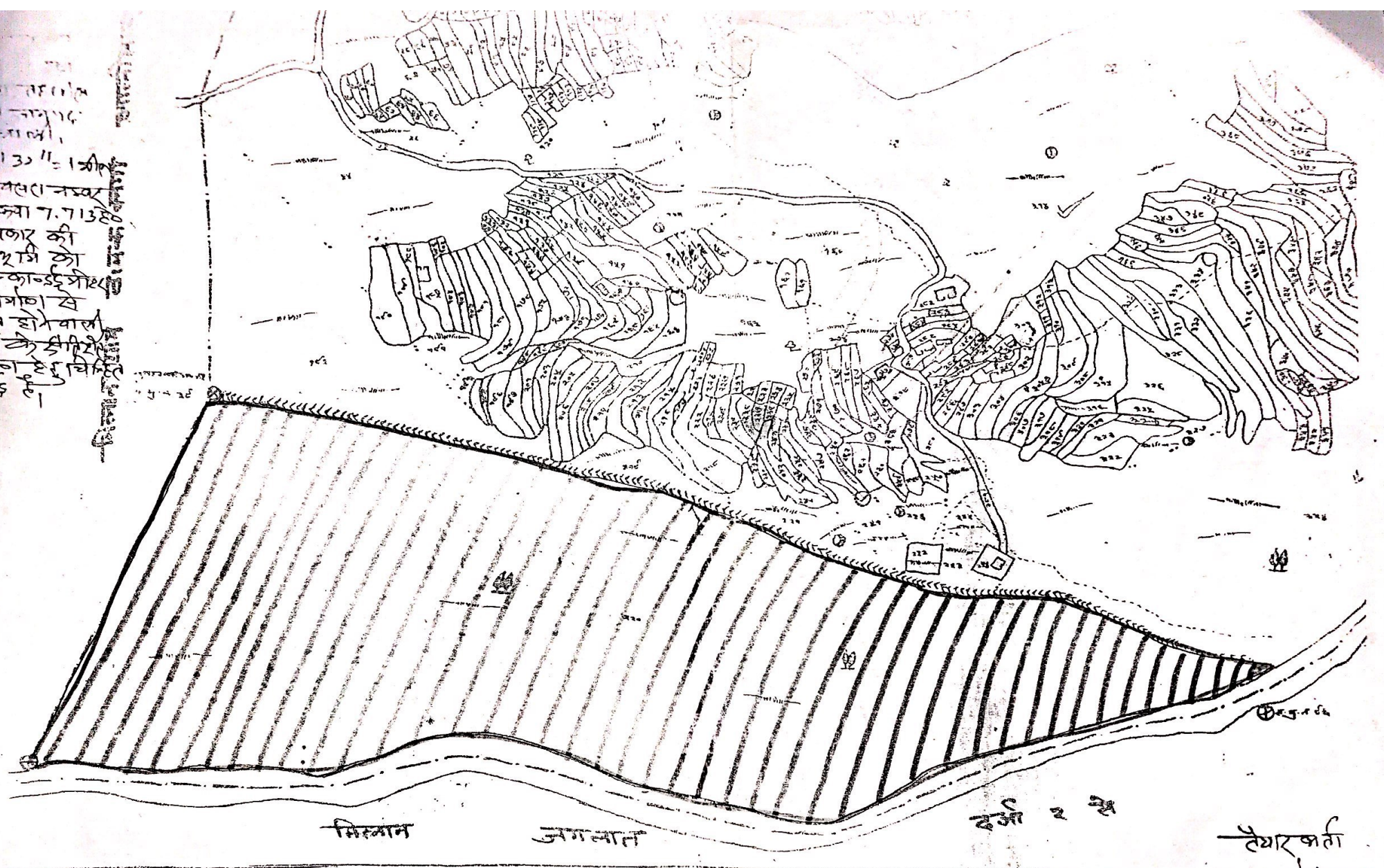
योग श्रणी	70 - (8) → 22	रु 20 =	18.658							25
योग श्रणी	90 → 33	रु 21 =	18.709							
योग श्रणी	रु क. 10 → 38	रु 21 =	18.770							
योग सगुण आग	→ 38	रु 21 =	18.770							30
मिडल रानी N2.A खतौनी तैयार की (जो की पंखवात) पत्राखी दुआ पारवरी										35
										40
										45

29	0.008	/
28	0.420	/
25	0.063	/
26	0.006	/
25	0.008	/
21	0.006	/
50	0.008	/
52	0.005	/
53	0.006	/
54	0.015	/
52	0.008	/
55	0.009	/
56	0.158	/
58	0.110	/
59	0.011	/
50	0.005	/
922	0.001	/
922	0.004	/
926	0.013	/
922	0.008	/
925	0.010	/
926	0.008	/
925	0.009	/
950	0.425	/
954	0.038	/
952	0.313	✓
295	0.085	✓
220	7.614	7.720
268	0.080	✓

→ मुताबिक आदेशा ग्रीमान जिलाधिकारी महेन्द्र-जमोली के कार्यालय पत्र सं 4476/दुबईस-14 (2018-2019) जो पोस्टर दिनांक 04 मई 2019 के अनुसार जनपद-जमोली के अन्तर्गत जोरूम जोरसुवाई के अन्तर्गत पोस्टर-काण्डई मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 3.35 हे० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्ति लक्ष्यारोपण के स्वयं में ग्राम काफलाणी गा० ड० नि० क्षेत्र त्रिभुल। नदसील पोस्टर की सीमान्तर्गत जवसरा सं 220 से शकवा 2.420 हे० मध्ये 3.313 हे० भूमि को वन विभाग के पक्ष में सामान्य/हस्तान्तरण/किसे जाने की स्वीकृति आसमादेशा सं- 2173/ख० III (II)/2012-18 (120)/2016 दिनांक 14 दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

11/11/19
28/01/19
खा० ड० नि०
त्रिभुल
50

1. 10/11/11
 2. 10/11/11
 3. 10/11/11
 4. 10/11/11
 5. 10/11/11
 6. 10/11/11
 7. 10/11/11
 8. 10/11/11
 9. 10/11/11
 10. 10/11/11
 11. 10/11/11
 12. 10/11/11
 13. 10/11/11
 14. 10/11/11
 15. 10/11/11
 16. 10/11/11
 17. 10/11/11
 18. 10/11/11
 19. 10/11/11
 20. 10/11/11
 21. 10/11/11
 22. 10/11/11
 23. 10/11/11
 24. 10/11/11
 25. 10/11/11
 26. 10/11/11
 27. 10/11/11
 28. 10/11/11
 29. 10/11/11
 30. 10/11/11
 31. 10/11/11
 32. 10/11/11
 33. 10/11/11
 34. 10/11/11
 35. 10/11/11
 36. 10/11/11
 37. 10/11/11
 38. 10/11/11
 39. 10/11/11
 40. 10/11/11
 41. 10/11/11
 42. 10/11/11
 43. 10/11/11
 44. 10/11/11
 45. 10/11/11
 46. 10/11/11
 47. 10/11/11
 48. 10/11/11
 49. 10/11/11
 50. 10/11/11
 51. 10/11/11
 52. 10/11/11
 53. 10/11/11
 54. 10/11/11
 55. 10/11/11
 56. 10/11/11
 57. 10/11/11
 58. 10/11/11
 59. 10/11/11
 60. 10/11/11
 61. 10/11/11
 62. 10/11/11
 63. 10/11/11
 64. 10/11/11
 65. 10/11/11
 66. 10/11/11
 67. 10/11/11
 68. 10/11/11
 69. 10/11/11
 70. 10/11/11
 71. 10/11/11
 72. 10/11/11
 73. 10/11/11
 74. 10/11/11
 75. 10/11/11
 76. 10/11/11
 77. 10/11/11
 78. 10/11/11
 79. 10/11/11
 80. 10/11/11
 81. 10/11/11
 82. 10/11/11
 83. 10/11/11
 84. 10/11/11
 85. 10/11/11
 86. 10/11/11
 87. 10/11/11
 88. 10/11/11
 89. 10/11/11
 90. 10/11/11
 91. 10/11/11
 92. 10/11/11
 93. 10/11/11
 94. 10/11/11
 95. 10/11/11
 96. 10/11/11
 97. 10/11/11
 98. 10/11/11
 99. 10/11/11
 100. 10/11/11



Real
 अर्थ

AE

सहायक अभियन्ता
 पी० एच० जी० एस० वाई. खण्ड
 लो० नि० वि० पोखरी (चमोली)

सत्यापित
 23/10/2017

23/10/2017
 निशुला

